न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 पूजा सक्सेना, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 07/2017 अपील

अनवान प्रकरण

1–छगनीदेवी पत्नि जगदीश खटीक निवासी मेजा तहसील मांण्डल जिला भीलवाड़ा
2–पंकज पिता जगदीश खटीक निवासी मेजा तहसील मांण्डल जिला भीलवाड़ा ———
अपीलार्थीगण

बनाम

1–कमलेश पिता जगदीश खटीक निवासी मेजा तहसील मांण्डल जिला भीलवाड़ा
2–आशा पुत्री जगदीश खटीक निवासी मेजा तहसील मांण्डल जिला भीलवाड़ा
3–मंजू पुत्री जगदीश खटीक निवासी मेजा तहसील मांण्डल जिला भीलवाड़ा
4–ग्राम पंचायत मेजा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
———प्रत्यर्थीगण

(अपील बाबत– ग्राम पंचायत मेजा द्वारा जारी नामान्तरकरण संख्या 3129 दिनांक 05.10.17)
अपीलः– अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

———0———

उपस्थितः– वकील अपीलार्थीगण– श्री ए0आर0पठान
वकील प्रत्यर्थीगण–श्री पी0के0व्यास

———

आदेश

दिनांक 05.08.2022

अपीलार्थीगण के द्वारा अपील मीमो अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

1–गाम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा की शरहद में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 717 में आराजी नम्बर 1287 रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 1288 रकबा 03 बिस्वा, आ0नं0 1289 रकबा 02 बिस्वा कुल कीता 03 कुल रकबा 09 बिस्वा एवं खाता संख्या 718 में दर्ज आ0नं0 1291 रकबा 19 बिस्वा, आ0नं0 2634/1138 रकबा 17 बिस्वा, आ0नं0 2834/1311 रकबा 02 बिस्वा कुल कीता 03 कुल रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा स्थित होकर अपीलार्थीगण के पति/पिता जगदीशचन्द्र पिता छोगालाल खटीक के नाम पर संयुक्त रूप से अन्य सहखातेदारों के नाम पर दर्ज थी।

2–यह कि अपीलार्थीगण के पति/पिता जगदीशचन्द्र की मृत्यु दिनांक 06.09.2017 को हो चुकी तथा जगदीशचन्द्र ने अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 12.07.2010 को अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित किया। जगदीशचन्द्र की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के नाम ग्राम पंचायत मेजा ने बिना जांच पड़ताल किए दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि एवं कानून के विपरीत एवं त्रुटीपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

3–यह कि अपीलार्थीगण के पति/पिता जिला परिषद में राजकीय सेवा में कार्यरत था तथा दुर्धटना में दिनांक 06.09.2017 को मृत्यु हो गई। अपीलार्थीया संख्या 01 जगदीश की दूसरी पत्नि है तथा जगदीश की पहले वाली पत्नि की मृत्यु हो जाने से दूसरा विवाह अपीलार्थी संख्या 01 से किया जिसके नुत्फै से अपीलार्थी संख्या 02 का जन्म हुआ। अपीलार्थी संख्या 01 के पति जगदीश द्वारा दिनांक 06.01.2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को एक लाख रूपये नकद लेकर जगदीश के पक्ष में एक इकरारनामा लिख

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

दिया कि जगदीश की स्वअर्जित चल व अचल सम्पत्ति में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कोई हिस्सा नहीं लेगा व अपीलार्थीगण को जगदीश द्वारा उसकी सम्पत्ति तथा राजकीय सेवा से कोई लाभ देने पर रेस्पोडेन्ट सं0 01 को कोई एतराज नहीं होगा ।

4–यह कि अपीलार्थी संख्या 01 ने उक्त आराजीयात का वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु दिनांक 16.11.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 05 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त नामान्तरकरण को तस्दीक किए जाने की सूचना हाल ही में अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हल्का से खाते की नकल दिनांक 22.11.2017 एवं नामान्तरकरण की नकल दिनांक 27.11.2017 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी से यह अपील अन्दर अवधि में पेश है। अपील को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य कराये जाने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

5–अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 3129 निर्णय दिनांक 05.10.2017 को निरस्त फरमाया जाकर ग्राम मेजा की आराजी नम्बर 1287 – 1288 – 1289 – 1291 – 2634/1138 – 2834/1311 में जगदीश के हिस्से की आराजीयात में से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 का नाम विलोपित करते हुये अपीलार्थीगण का नाम बदस्तुर रखा जावे ।

6–अपील मीमों दिनांक 28.11.2017 को प्रस्तुत किए जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 02 व 04,05 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से दिनांक 28.02.2020 को एक तरफा आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 03 की ओर से मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील मियाद बाहर होने से खारीज फरमाई जावे।

7–उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस में वकील अपीलार्थी ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को ग्राम पंचायत मेजा द्वारा बिना विधिवत सुनवाई एवं जांच के नामान्तरकरण संख्या 3129 दिनांक 05.10.2017 को निर्णित किया वह विधि विरूद्ध है जिसकी अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 16.11.2017 को अपीलार्थीगण ने ग्राम पंचायत के समक्ष वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 3129 की जानकारी होने पर नामान्तरकरण व जमाबन्दी की नकलें प्राप्त कर विधिवत मियाद के प्रार्थनापत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत किए जाने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील को मियाद में शुमार फरमाई जावे।

8–यह कि अपीलार्थीगण के पक्ष में स्व0 जगदीशचन्द्र द्वारा अपनी स्वअर्जित आराजीयात का पंजीबद्ध वसीयतनामा अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित किया जिसे ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर भी ग्राम पंचायत मेजा द्वारा बिना अपीलार्थीगण को सुने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 का नाम वादवर्णित आराजीयात में दर्ज कर दिया जिसके कि वे अधिकारी नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरामाई जाकर ग्राम पंचायत मेजा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 3129 निर्णय दिनांक 05.10.2017 को खारीज फरमा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 का नाम विलोपित करावें।

9–बहस में वकील प्रत्यर्थीगण ने निवेदन किया कि नामान्तरकरण की अपीलार्थीगण को जानकारी होते हुए अपील 23 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गई। विलम्ब में प्रत्येक दिन का कारण सहित प्रार्थनापत्र दफा 5 में विवरण अंकित नहीं किया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाई जावे।

10–यह कि अपील में अंकित आराजीयात मृतक जगदीश की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 प्रथम श्रेणी के वारिस होकर जगदीश के विधिक वारिस है जिससे इनका भी जगदीश की मृत्यु के बाद कृषि आराजीयात में बराबर का हक अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मेजा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3129 दिनांक 05.10.2017 विधिवत जांच कर निर्णित किया है। वसीयतनामा के आधार पर किसी के हक निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। सक्षम न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

चाराजोही करे। अपील खारीज फरमाई जावे। अपने कथन की पुष्टि में निम्न न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किए–

1–2007(3)डीएनजे(राज0)1544 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 4602 / 2001 निर्णय दिनांक 23.07.2007 प्रेमबाई बनाम केलाराम व अन्य

2–आरआरटी 2005(1) पेज संख्या 630 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी संख्या 25 / 2003 निर्णय दिनांक 06.09.2004 श्रीमती रक्षादेवी बनाम पशुपतिनाथ व अन्य

3– आरआरटी 2017(2) पेज संख्या 1355 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी संख्या 10798 / 1998 निर्णय दिनांक 15.05.2017 भूरा बनाम मोहन व अन्य

11–हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। अपील मीमों व बहस के तथ्यों पर मनन किया। जगदीशचन्द के दिनांक 06.09.2017 को फौत हो जाने पर अपीलार्थीगण के पास पंजीबद्ध वसीयतनामा था जिसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिए ग्राम पंचायत मेजा में दिनांक 16.11.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु जगदीश के फौत हो जाने से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 3129 दिनांक 05.10.2017 को ग्राम पंचायत मेजा द्वारा निर्णित किए जाने की अपीलार्थीगण को सूचना नहीं होना अंकित किया परन्तु इसकी जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 16.11.2017 को हो चुकी थी फिर अपील 28.11.2017 को प्रस्तुत की गई । चूंकि मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील मीमो के साथ प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर प्रकरण में निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए देरी को क्षम्य करते हुए मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थनात्र को स्वीकार करते हुए अपील कों मियाद में शुमार किया जाता है।

12–अपील मीमों के साथ प्रस्तुत ग्राम मेजा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 के खाता संख्या 206–207–208 में अंकित आराजीयात 1287 – 1288 – 1289 – 1291 – 2634 / 1138 – 2834 / 1311 छोगा पिता उदा खटीक के नाम पर खातेदारी से दर्ज थी। छोगा पिता उदा खटीक के फौत हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 1973 दिनांक 20.04.2006 से विरासत से खाता मोहनी पत्नि छोगा, जगदीशचन्द्र, सत्यनारायण, गोपाल, सीता पिता छोगा खटीक के नाम दर्ज हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि नामान्तरकरण संख्या 3129 में दर्ज आराजीयात स्व0 जगदीशचन्द्र पिता छोगा की स्वअर्जित नहीं है। पैतृक सम्पत्ति में कानूनन दादा के हक हिस्से की भूमि में पोते का जन्म से अधिकार सृजित हो जाते हैं। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 03 स्व0 जगदीश के वारिस होने से जगदीश पिता छोगा के फौत होने पर ग्राम पंचायत मेजा के द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 3129 दिनांक 05.10.2017 को सभी के नाम पर दर्ज किया है जो उचित है। क्योंकि अपीलार्थीगण वसीयतनामा के आधार पर अपील मीमों में दर्ज आराजीयात में स्वयं का हक अधिकार चाहते हैं जो इस अपील के माध्यम से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिसमें केवल भूमि के लगान आदि की नियमित वसूली हेतु वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाता है। यदि अपीलार्थीगण को किसी प्रकार के हक अधिकार चाहिए तो वे विधिवत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे। प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। अतएव–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मेजा के द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 3129 निर्णय दिनांक 05.10.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 05.08.2022 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
मांडल जिला भीलवाड़ा